



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 चैत्र 1933 (श0)  
(सं0 पटना 121) पटना, सोमवार, 4 अप्रील 2011

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2011

सं0 3/सी.एस./एम.-504/2010-445—बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 में संशोधन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली "बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2011" कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 5क में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम 5क में प्रयुक्त अंक '500' को अंक '1,000' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली के नियम 6 का प्रतिस्थान। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

" 6. आतिथ्य भत्ता-मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप-मंत्री कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित दर पर आतिथ्य भत्ता के हकदार होंगे :-

|                  |   |
|------------------|---|
| (क) मुख्यमंत्री  | 18,500 (अठारह हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह; |
| (ख) मंत्री       | 18,000 (अठारह हजार रुपये) प्रतिमाह;         |
| (ग) राज्य मंत्री | 17,500 (सत्रह हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह; |
| (घ) उप मंत्री    | 17,000 (सत्रह हजार रुपये) प्रतिमाह।"        |

4 बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली के नियम 9 में संशोधन। – उक्त नियमावली के नियम 9 में प्रयुक्त अंक '10' अंक '15' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उपेन्द्र कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 121-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>